

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1689]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2019/ज्येष्ठ 10, 1941

No. 1689]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2019/JYAISTHA 10, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 15 मई, 2019

का. आ. 1887(अ).—दिनांक 22 जनवरी, 2019 के संख्या का.आ.367 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 14 जनवरी, 2019 की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में केसिंग हेड कंडंसेट से संबंधित पैराग्राफ (ii) के खंड (क) में “बोली दौर-II” शब्दों को “बोली दौर-I” पढ़ा जाए।

[फा.सं. ओ-11019 (18)/6/2018-अन्वेषण- I- पीएनजी]

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th May, 2019

S.O. 1887(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, dated 14th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.367(E) dated the 22nd January, 2019, in clause (a) of paragraph (ii) relating to Casing Head Condensate, the words “Bid Round-II” be read as “Bid Round-I”.

[F. No. O-11019(18)/6/2018-Expl-I-PNG]

AMAR NATH, Jt. Secy.